

इंडिया इंटरनेशनल हाउस

Company Name - India International House	Policy Name - Freedom of Association & Right to collective bargaining
Original date: 04/11/2023 Rev No. 00	Document No. - IIL/CLP/11

संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी की नीति

इंडिया इंटरनेशनल हाउस (India International House) सभी कर्मचारियों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदाकारी का स्वागत करता है। यह कम्पनी की प्रतिबद्धता है जहाँ कर्मचारी बिना डर के अपने विचार रख सके। कम्पनी सामूहिक सौदाकारी को न्यायसंगत एवं संतुलित व्यवस्था मानकर समर्थन करता है जिससे कि कम्पनी एवं कर्मचारियों के बीच एक सटीक समझौता तैयार किया जा सके।

1. उद्देश्य:

INDIA INTERNATIONAL HOUSE कर्मचारियों को स्वतंत्रता पूर्वक इकट्ठा होने तथा सामूहिक सौदाकारी कर न्यायसंगत समझौता करने का स्वागत एवं समर्थन करता है।

2. कार्यक्षेत्र: %&

यह नीति INDIA INTERNATIONAL HOUSE की सभी ईकाईयों पर लागू होती है।

3. विस्तृत नीति:

- INDIA INTERNATIONAL HOUSE अपने कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के अपनी इच्छा से किसी भी यूनियन में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता देती है।
- INDIA INTERNATIONAL HOUSE अपने कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के अपनी इच्छा से किसी भी कानून सम्मत यूनियन में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता देती है।
- INDIA INTERNATIONAL HOUSE ट्रेड यूनियन के प्रति अपना खुला रवैया रखता है।
- INDIA INTERNATIONAL HOUSE कर्मकार प्रतिनिधियों को बिना किसी भेदभाव के अपने कार्य करने की स्वतंत्रता देता है।

4. दिशा निर्देश और प्रक्रिया:


समुहिक सौदाकारी द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं जो कि सरकार के अन्य तरीके जैसे सरकारी नियम से भिन्न हैं जहाँ नियोक्ता एकेले ही निर्णय लेता है।

❖ इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता कर्मचारी, समाज, व्यवसाय तथा नैतिक शक्ति सभी के लिए अच्छा है।

❖ इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता होने से नियोक्ता को श्रमिक आर्वत भर्ती एवं प्रशिक्षण, खर्च, कुशलता को रोककर रखने आदि में काफी मददगार है।

5. संगठनात्मक संरचना:

कार्यकारी मानव संसाधन इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदाई होगा।



6. संचार एवं कार्यान्वयन:

- यह नीति सभी कर्मचारियों को सुचना पट पर चस्पा कर बताई जाएगी।
- कर्मचारी को आगमन के समय भी अवगत कराया जायेगा।
- कर्मचारियों को मीटिंग तथा परामर्श के समय अवगत कराया जायेगा।

7. प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण:

प्रबन्धन कर्मचारियों से इस नीति की समझ के विषय में प्रतिपुष्टि फॉर्म पर जानकारी लेगा। अगर कर्मचारी नीति को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो मीटिंग, प्रशिक्षण, आगमन के समय पर नीति के बारे में बतायेंगे, सभी कर्मचारियों को नीति के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

— का संपर्क —
— अनुमोदन कार्य का —

दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता:

Himanshu


अनुमोदन करते: